

पत्रांक-7/औषधि-07-01/2017- 104(7)a

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

क्षेत्रीय अपर निदेशक, मुजफ्फरपुर, भागलपुर
संबंधित सिविल सर्जन (सूची संलग्न) ।

पटना, दिनांक : 05-12-17

विषय: स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- 06-लोक स्वास्थ्य-104-औषध नियंत्रण-0001 औषध नियंत्रण स्थापना विपत्र कोड 20-2210061040001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में विभिन्न प्राथमिक इकाईयों, वेतन भत्ते एवं अन्य मदों में कुल-₹25,35,579/- (पच्चीस लाख पैतीस हजार पाँच सौ उन्नासी रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/ विपत्र कोड अन्तर्गत आवंटनादेश संख्या- 15(7)ब दिनांक-15.5.17, 30(7)ब दिनांक-04.07.17, 52(7)ब दिनांक-30.08.17 एवं 64(7)ब दिनांक-20.09.17 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 में विभिन्न प्राथमिक इकाईयों, वेतन भत्ते एवं अन्य मदों में कुल-₹25,35,579/- (पच्चीस लाख पैतीस हजार पाँच सौ उन्नासी रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है ।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- 06-लोक स्वास्थ्य-104-औषध नियंत्रण-0001 औषध नियंत्रण स्थापना विपत्र कोड 20-2210061040001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा ।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

← पटना

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

7. कय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 96(9) दिनांक 18.02.99, 142(9) दिनांक 15.03.2001, 241(9) दिनांक 21.05.2002, 37(9) दिनांक 16.08.2002 एवं 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायेगा ।

8. आवंटित राशि से किए गए कय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।


9. राशि का विचलन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा ।

10. यह मात्र आवंटन है । इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय । व्यय हेतु वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की निर्धारित प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

11. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

12. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,



(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव
बिनोद

ज्ञापांक : 104(7)A

पटना, दिनांक : 05-12-17

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सैवार्ड/सज्य डेमोग्राफर/ प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।


(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव
बिनोद

शोध 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06 लोक स्वास्थ्य-104-औषध नियंत्रण-0001 औषध नियंत्रण स्थापना विपत्र कोड 20-2210061040001 वित्तीय वर्ष 2017-2018 में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन मत्ता	मकान मत्ता	चिकित्सा मत्ता	अन्य मत्ता	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	विधि प्रभार	सामग्री एवं पूर्तियों	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		(01-01)	(01-03)	(01-04)	(01-06)	(01-07)		(06-01)	(11-01)	(13-01)	(13-05)	(21-01)		
1	क्षेत्रीय उपनिदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	20000	26600	4700	341	500	52141	0	0	2000	0	2000	56141	529/25.9.17
2	क्षेत्रीय उपनिदेशक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर	48000	95600	96800	4800	4800	250000	0	0	0	0	0	250000	356/6.10.17
3	सिविल सर्जन, नालन्दा	40000	51000	160000	10400	8000	269400	0	0	2000	0	2000	273400	3263/14.11.17
4	सिविल सर्जन, रोहतास	35000	52500	140000	9100	7000	243600	0	0	0	0	0	243600	2524/1.11.17
5	सिविल सर्जन, जहानाबाद	45000	67500	180000	11700	4000	308200	0	0	0	0	0	308200	1944/14.9.17
6	सिविल सर्जन, मुंगेर	35000	52500	143500	9100	7000	247100	0	0	2000	0	0	249100	1729/12.10.17
7	सिविल सर्जन, खगड़िया	35000	52500	143500	9100	7000	247100	0	0	0	0	0	247100	2133/4.10.17
8	सिविल सर्जन, शेखपुरा	35000	52500	143500	9100	7000	247100	0	10000	2000	10000	0	269100	1208/25.10.17
9	सिविल सर्जन, शिवहर	35000	52500	143500	9100	7000	247100	0	0	0	0	0	247100	1091/20.10.17
10	सिविल सर्जन, वैशाली	0	0	0	0	0	0	134979	0	0	0	0	134979	1509/9.8.17
11	सिविल सर्जन, पटना	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	40000	5769/14.7.17
12	सिविल सर्जन, किशनगंज	30000	45000	125900	8859	6100	215859	0	0	1000	0	0	216859	2040/22.9.17
	कुल योग:-	358000	548200	1281400	81600	58400	2327600	174979	10000	9000	10000	4000	2535579	

(पच्चीस लाख पैतीस हजार पाँच सौ उन्नासी रुपये मात्र)

104(7)9
05-12-17

सरकार के विशेष सचिव
5/2/17

उपबंध की स्थिति

क्रम	प्राथमिक इकाईयें:	कुल उपबंधित राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	वैतन (0001-01-01)	45498000	45140000	358000	45498000	0
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	59685000	59136800	548200	59685000	0
3	भकान किराया भत्ता (0001-01-04)	8528000	7246600	1281400	8528000	0
4	परिवहन भत्ता (000101-05)	127000	101900	0	101900	25100
5	चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)	509000	427400	81600	509000	0
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	282000	223600	58400	282000	0
	योग 20-2210.06.104.0001.01 वैतन	114629000	112276300	2327600	114603900	25100
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	363000	187286	174979	362265	735
8	यात्रा व्यय (0001-11-01)	200000	161000	10000	171000	29000
9	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	300000	291000	9000	300000	0
10	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव (0001-13-02)	100000	50000	0	50000	50000
11	दूरभाष (0001-13-03)	20000	10000	0	10000	10000
12	विधि प्रभार (0001-13-05)	200000	176000	10000	186000	14000
13	वर्दी / पोषाक (0001-13-06)	50000	50000	0	50000	0
14	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	689000	0	0	0	689000
15	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0001-21-01)	200000	196000	4000	200000	0
16	दवा भंडार (0001-21-02)	50000	0	0	0	50000
17	संविदा सेवारत (0001-28-02)	100000	50000	0	50000	50000
18	मशीने एवं उपकरण (0001-52-01)	200000	0	0	0	200000
	कुल योग	1177101000	113447586	2535579	115983165	1117835

104(7)9

05-12-17

सरकार के विशेष सचिव

5/12/17

5/12/17